पत्रांक 1/प्रा0आ0-0-3-42/2013................/आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

संकल्प

विषयः माह जून 2013 में उत्तराखंड में घटित प्राकृतिक आपदा की घटना में राज्य के मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने के संबंध में।

राज्य में घटित प्राकृतिक आपदा के लिए राहत देय है एवं इसके लिए मानदर निर्धारित है। वर्त्तमान मे राज्य के बाहर घटित घटनाओं के लिए अनुग्रह अनुदान के भुगतान के संबंध में कोई स्पष्ट दिशा निदेश नहीं है। हाल में उतराखंड राज्य में घटित घटना में बिहार के बहुत से निवासी मृत/घायल हुए है। उक्त घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान देना समीचीन है।

2. राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जून 2013 में उत्तराखंड में घटित प्राकृतिक आपदा की घटना में राज्य के मृत व्यक्तियों के आश्रितों को ₹1.00 लाख (एक लाख रूपये) का अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराया जाय। उक्त अनुग्रह अनुदान के भुगतान की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः-

(i) मृतकों के परिजनों से मृत्यु की सूचना उतराखंड से निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र के साथ प्राप्त होने की स्थिति में उचित पहचान कर संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii) परन्तु ऐसे मामले जिनमें मृत्यु प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं हो, के संबंध में मृतक के परिजनों से मृत्यु संबंधी शपथ पत्र प्राप्त कर संबंधित व्यक्ति के फोटो के साथ समाचार पत्रों में उक्त व्यक्ति के उतराखंड में प्राकृतिक आपदा में मृत होने की सूचना जिला पदाधिकारी द्वारा प्रकाशित करायी जायेगी तथा 30 दिनों तक प्रतीक्षा की जायेगी। उक्त अवधि में संबंधित व्यक्ति के जीवित होने की सूचना प्राप्त नहीं होने पर मृतक के आश्रित को अनुग्रह अनुदान संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

3. इस पर हुई व्यय की राशि राज्य कोष से वहन की जायेगी एवं मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष- 02- बाढ चक्रवात

D:\Com D (H)\ From April 2008-09\Budget\sanksip 2245-02-101-0815 Date 09-07-13

आदि , लघु शीर्ष–101– अनुग्रहिक राहत, समूह शीर्ष– गैर योजना के अन्तर्गत 'उप शीर्ष– 0015– राज्य के बाहर की घटनाओं में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों /परिवारों को अनुग्रह अनुदान से विकलनीय होगी।

4. यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के आगामी असाधरण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक ..../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2881 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 12/7/13

प्रतिलिपिः सरकार के सभी प्रधान सचिव/ सभी सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकारी महानिबंधक उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा/ सचिव बिहार विधान परिषद्, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

ज्ञाप सं0–07/विविध–गै0यो0 (2245) 06–59/2009 5014 (E) पटना, दिनांक– 7.8.13

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, सभी उपभाग / सभी अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल (राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल सहित) / सभी कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल / राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल/ राज्य उच्च पथ प्रमंडल को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञाप सं0–2881/आ0प्र0, दिनांक–12.07.2013 में अंकित दिशा–निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाए।

(हरे राम सिंह)
विशेष पदाधिकारी (या0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Mukul Com D (II) From April 2008-09\Budget\sankalp 2245-02-101-0015 Date 09-07-13

(9)

Sam
13-2-13

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या–प्र0–8/पथ अधि0–19–17/2011 239(E) पटना, दिनांक 16.1.13

सरकार के आदेशानुसार इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुलग्नक में अंकित पथों/पथांशों को पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहित किया जाता है।

2. पथों/पथांशों के स्वामित्वधारी विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग से दायित्वरहित अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त है।

3. संबंधित पथ प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता विधिवत रूप से उपर्युक्त पथों का प्रभार संबंधित विभाग से प्राप्त करेंगे तथा विभागीय पंजी में संधारित करते हुए अग्रतर कार्रवाई करेंगे एवं अधिग्रहित पथ का अद्यतन स्टेटस प्रतिवेदन मुख्यालय को समर्पित करेंगें।

4. संबंधित पथ के विरूद्ध पूर्व से सृजित किसी भी दायित्व का वहन पथ निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा।

अनु0:–अधिगृहित पथों की सूची।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

15/1/13

(बबन राम)
अभियंता प्रमुख,
प0नि0वि0, बिहार, पटना।

ज्ञापाक– प्र0–8/पथ अधि0–19–17/2011 240(E) दिनांक 16.1.13

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनु0:–अधिगृहित पथों की सूची।

15.01.13

(बबन राम)
अभियंता प्रमुख,
प0नि0वि0, बिहार, पटना।

ज्ञापाक– प्र0–8/पथ अधि0–19–17/2011 240(E) दिनांक 16.1.13

प्रतिलिपि :– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0:–अधिगृहित पथों की सूची।

15.1.13

(बबन राम)
अभियंता प्रमुख,
प0नि0वि0, बिहार, पटना।

ज्ञापाक– प्र0–8/पथ अधि0–19–17/2011 240(E) दिनांक 16.1.13

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इससे माननीय मंत्री जी को अपने स्तर से अवगत करा देंगे।

अनु0:–अधिगृहित पथों की सूची।

15.1.13

(बबन राम)
अभियंता प्रमुख,
प0नि0वि0, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– प्र0–8 / पथ अधि0–19–17 / 2011 290 (E) दिनांक 16.1.13

प्रतिलिपि :–सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का प्रकोष्ठ / सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / विशेष पदाधिकारी (यातायात), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रा0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव / मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग / अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग / निदेशक, क्रय पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचना प्रेषित।

अनु0–अधिगृहित पथों की सूची।

15.1.13

(बबन राम)
अभियंता प्रमुख,
प0नि0वि0, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– प्र0–8 / पथ अधि0–19–17 / 2011 290 (E) दिनांक 16.1.13

प्रतिलिपि :–सभी मुख्य अभियंता / नगर मुख्य अभियंता, पटना नगर निगम / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0–अधिगृहित पथों की सूची।

15.1.13

(बबन राम)
अभियंता प्रमुख,
प0नि0वि0, बिहार, पटना।

अधिसूचना संख्या–प्र0–8/पथ अधि0–19–17/2011– 240(E) दिनांक 16.1.13

पथ निर्माण विभाग

अधिगृहित पथों की सूची

क्र0सं0	प्रमंडल/ जिला	अधिग्रहण हेतु पथ का नाम	कि0मी0 में पथ
1	बेतिया	हरकटवा से मनचंगवा पथ।	1.30
2	बेतिया	सिरिसिया से शेरपुर	4.90
3	बेतिया	बखरी से बजनी	3.90
4	बेतिया	रूपवलिया से डुमरिया	3.10
5	बेतिया	दूधवलिया से धमौर स्कूल	5.20
6	बेतिया	धमौर बाजार से गम्हरिया	5.70
7	बेतिया	सिसवा ग्राम से भगवा 2 कि0मी0 पोस्ट तक	3.20
8	बेतिया	भगहा 2 कि0मी0 से 4 कि0मी0 पोस्ट	2.00
9	बेतिया	इनरवा बाजार से इनरवा दोण कैनाल तक।	0.75
10	अररिया	रिफ्यूजी कॉलनी गांव से मीरगंज चौक।	38.92
11	अररिया	मीरगंज रेलवे क्रॉसिंग से कुआरी ।	31.05
12	सीतामढ़ी	भगवतीपुर से कनहावा (कन्हावाँ)	1.65
13	सुपौल	कुमार चौक वीरपुर से रिफ्यूजी कॉलनी	7.00

15/1/13

अभियंता प्रमुख,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।